संख्या- 17/250/बयालिस-2015-11(विविध)/2013

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2015**

विषय- **वर्ष- 2016 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित होने वाले ओलम्पिक खेल में प्रदेश के पदक विजेताओं की पुरस्कार धनराशि में वृद्धि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1108/अन्तर्रा0पुर0धन0बढ़ो0पत्रा0/2014-15, दिनांक 27 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 3381/बयालिस-2007-38/एस0पी0/104/82, दिनांक 29.10.2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओलम्पिक खेलों में पदक प्राप्त एवं प्रतिभाग करने वाले खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश संख्या- 3381/बयालिस-2007-38/एस0पी0/104/82, दिनांक 29-10-2007 एवं शासनादेश संख्या- 3065/बयालिस-2013-11(विविध)/2013, दिनांक 19-11-2013 में निम्नानुसार संशोधन करते हुए ओलम्पिक गेम्स में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाडियों की पुरस्कार राशि में वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता ओलम्पिक (एकल खेल) **(धनराशि रू0 लाख में)**

पुरस्कार धनराशि की वर्तमान दर			पुरस्कार धनराशि की संशोधित दर		
स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
30.00	20.00	15.00	600.00	400.00	200.00

(टीम खेल) प्रति खिलाड़ी ओलम्पिक **(धनराशि रू0 लाख में)**

पुरस्कार धनराशि की वर्तमान दर			पुरस्कार धनराशि की संशोधित दर		
स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
15.00	12.00	10.00	300.00	200.00	100.00

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त के अतिरिक्त वर्ष- 2016 में रियो डि जेनेरियों में आयोजित होने वाले ओलम्पिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को रू0 10.00 लाख प्रोत्साहन स्वरूप प्रति खिलाड़ी के दर से दिया जायेगा।

3- प्रत्येक पुरस्कृत खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल दिया जायेगा।

4- उक्त व्यवस्था ओलम्पिक गेम्स, 2016 में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों पर ही लागू होगी। प्रदेश के खिलाड़ी का तात्पर्य वही होगा, जो शासनादेश दिनांक 29.10.2007 में परिभाषित है।

5- शासनादेश संख्या- 3381/बयालिस-2007-38/एस0पी0/104/82, दिनांक 29.10.2007 एवं शासनादेश संख्या- 3065/बयालिस-2013-11(विविध)/2013, दिनांक 19-11-2013 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 29.10.2007 में उल्लिखित अन्य खेल प्रतियोगिताओं हेतु पुरस्कार/धनराशि तथा शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-383/दस-2015, दिनांक 20 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्या- 250(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3)- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग- 5
(4)- गोपन अनुभाग- 1
(5)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in